

पंजीकरण के लिए नीति परिपत्र ठेकेदारों का पंजीकरण और निविदा आमंत्रित करना

1. प्रस्तावना

क) नीति तीन भागों में शामिल है :

- i) स्वीकृत सूची में पंजीकरण ठेकेदारों के अपग्रेडेशन के लिए दिशा-निर्देश । (भाग I)
 - ii) ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से नाम हटाने के लिए दिशा-निर्देश। (भाग II)
 - iii) के.आर.सी.एल. में खुले रेखा संगठन में निविदा संदर्भ में विभिन्न कार्य नीति के परिपत्र निर्देश
- ख) यह नीति पंजीकृत ठेकेदारों और खुली लाईन और निविदा सूचनाओं के लिए लागू है।
- ग) इस जारीर अन्य सभी इस संबंध में जारी निर्देश रद्द हो जाएंगे।
- घ) सभी नए पंजीकरण / अपग्रेडेशन / सूची से हटाने और निविदा सूचनाओं के मुद्दे के लिए ठेकेदारों का भी चयन करने के लिए 07/05/2005 से नीति लागू है
- ङ) पंजीकरण/ अपग्रेडेशन के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने के बाद और छानबीन किया जाएगा अगर कोई कमी पाए जाते हैं, पूरे आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एक सलाह के साथ आवेदक को लौटा दिया जाएगा कमियों को सुधारने इसे पुनः प्रस्तुत करें। आवेदन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- च) एक अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क 500/- रूपए डाक और क्लार्कज शुल्क की दिशा में लगाया जाएगा, जबकि ठेकेदार की स्वीकृत सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा । अनुमोदित सूची में अपग्रेडेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण के क्लास के अनुसार लगाया जाएगा।
- छ) एस.ओ.पी. का प्रावधान है, इस कार्य के लिए समय-समय पर जारी किए गए विकास बोर्डों के संबंध में अपनाई जाने वाली शक्तियों के प्रत्यायोजन उपयुक्त विषयों पर हैं।

भाग - I

2.0 क्लासेस / पंजीकरण की श्रेणियां

2.1 पंजीकरण के क्लासेस

ठेकेदार का कार्य और कार्य मूल्य की क्षमता पर [ए. एल. सी] पांच विभिन्न वर्ग किए जाएंगे। ठेकेदार के पात्र होने का न्यूनतम मूल्य वर्ग के पात्र होने का अनुमान करार निम्नानुसार है :-

न्यूनतम पात्र क्लास	कार्य का अनुमानित मूल्य
ए	100 लाख ₹ से ऊपर और 500 लाख ₹ तक
बी	50 लाख ₹ से ऊपर और 100 लाख ₹ तक
सी	10 लाख ₹ से ऊपर और 50 लाख ₹ तक
डी	2 लाख ₹ से ऊपर और 10 लाख ₹ तक
ई	2 लाख ₹ तक

2.2 पंजीकरण की श्रेणियां

विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकरण की निम्नलिखित श्रेणियां अपनाई जाएगी।

- रेल कार्य पी. वे झोनल सहित
- जियोटेक सुरक्षा कार्य जैसेकि एच. एस. बी. एन. / एम. एस. बी. एन. और मायक्रो पायलिंग
- ब्लास्ट आपूर्ति
- रॉकबोल्डिंग शॉटक्रीटींग, टीला स्केलिंग, सुरंगों और सुरंग के अंदर लगाना गहरी ढलाने आदि।
- भू-कार्य के साथ ढलानों को समतल करना हो, सॉइल नेलिंग, साइड ड्रेन/ कॅच वॉटर ड्रेन का निर्माण कार्य, टो वॉल, रीटेनिंग वॉल, गैबियन वॉल आदि।
- पुल) (आर. सी. सी / पी. एस. सी)
- इस्पात का काम
- इमारतें और जल आपूर्ति, आदि
- सड़का
- सर्वेक्षण और कंसल्टेंसी

3.0 चयन के लिए मानदंड

कोकण रेलवे के अनुमोदित संविदाकारों (ए.एल.सी) की अंतिम सूची के लिए निम्नलिखित श्रेणी तथा वर्ग के लिए मानदंड अपनाए गए हैं। संविदाकारों को निम्नलिखित छह पहलू जैसे कि पैरा 3.1 से 3.4 तक विस्तृत न्यूनतम योग्यता मापदंड और पैरा 3.5 और 3.6 के अनुसार पात्र कर्मचारी और मशीनरी उपकरण के लिए निर्धारित मापदंड पूरे करने चाहिए।

3.1 पिछले कार्य का अनुभव

प्रत्येक श्रेणी के तहत पिछले पांच साल में ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य मूल्य के आधार पर ठेकेदारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए विचार किया जाएगा।

वर्ग	पिछले 5 वर्षों के दौरान अपेक्षित पिछले काम के न्यूनतम मूल्य (₹) के मामले में	
	एकल कार्य (₹)	दो कार्य (₹)
ए	150 लाख	प्रत्येक 50 लाख
बी	75 लाख	प्रत्येक 25 लाख
सी	20 लाख	प्रत्येक में 6 लाख
डी	6 लाख	प्रत्येक 2 लाख
ई	1 लाख	प्रत्येक 0.5 लाख

केवल सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन (राज्य और केन्द्रीय) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों को विभिन्न वर्गों की उपयुक्तता मूल्यांकन करने के लिए विचार किया जाएगा।

- 3.1 (क) आवेदकों द्वारा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए कार्य पर विचार करते समय कोकण रेलवे के ओपन लाइन वर्किंग शर्तों की तुलना करनी चाहिए और विभिन्न श्रेणियों तथा कार्य के वर्ग पर टी.सी सदस्यों द्वारा उचित जायजा लेना चाहिए। सामान्य नियम के तौर पर आवेदक को उसकी पात्रता से एक श्रेणी में रखा जाए और पिछले कार्यान्वित कार्यों के न्यूनतम मूल्य के आवश्यक मानदंड प्राप्त किए जाए। यदि पूर्ण किए गए कार्य का प्रमाणपत्र कोकण रेलवे / भारतीय रेलवे (ओपन लाइन के अलावा) अन्य सरकारी विभाग / पी. एस. यू द्वारा जारी होना चाहिए।

3. 2 ऋण क्षमता

पंजीकरण के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऋण क्षमता निम्ननुसार होंगी :

वर्ग ए- ₹ 150 लाख

वर्ग बी- ₹ 75 लाख

वर्ग सी- ₹ 30 लाख

वर्ग डी- ₹ 6 लाख

वर्ग ई- ₹ 1 लाख

ऋण क्षमता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूची बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर विचार किया जा सकता है। जो पूर्व के पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से दो साल के लिए जारी किया जाता है शोधन क्षमता प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

3. 3 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

इस खंड के उन ठेकेदारों, जो पहले से ही के.आर.सी.एल. की अनुमोदित सूची के आधार पर वहन किया जाता है के लिए लागू होता है। क्षेत्रों की सिफारिशों के रूप में अपग्रेडेशन / विलोपन / डाउन ग्रेडिंग के बारे में मुख्य इंजीनियर द्वारा पंजीकरण के वर्ग में मंजूरी दे दी और आवेदन की प्रक्रिया करते समय उचित काईवाई की जाएगी। जबकि उपर्युक्त सिफारिश करते समय, ठेकेदार के संरक्षा उपायों को दर्ज किया जाना चाहिए।

3. 4 कार्यालय और संचार (व्यवस्था)

- i) टेलीफोन / सेलुलर फोन
- ii) पत्राचार के लिए स्थापित कार्यालय का पता
- iii) पैन नंबर (आयकर)

3. 5 योग्य कर्मचारी (वांछनीय)

वर्ग ए. दो स्नातक इंजीनियर के 5 -7 साल के अनुभव वाले और तीन डिप्लोमा इंजीनियर 10- 12 साल के अनुभव वाले।

वर्ग बी. एक स्नातक इंजीनियर के 5 -7 साल के अनुभव और दो डिप्लोमा इंजीनियर 07-10 साल के अनुभव वाले।

वर्ग सी- दो डिप्लोमा इंजीनियर 5-7 वर्षों का अनुभव

वर्ग डी- एक डिप्लोमा इंजीनियर 3- 5 वर्ष का अनुभव

वर्ग ई- कोई क्षमता प्राप्त इंजीनियर

3.6 मशीनरी और उपकरण: (वांछनीय)

श्रेणी (i)	वर्ग सी (ii)	वर्ग बी (iii)	वर्ग ए (iv)
ट्रैक जियोटेक आदि कार्यो सहित	1) सेट (गैर उल्लंघनकारी) - जैक्स - 4 सेट 2) पोर्टेबल जनरेटर 3) अब्रेसिव रेल कटिंग मशीन - 2 4) रेल ड्रिलिंग मशीन - 1 5) डिप लॉरी - 1 6) रेल डॉली - 6 7) रेल थर्मामीटर - 2 सेट 8) गेज सह स्तर 2 सेट 9) डिस्ट्रेसिंग रोलर - 100 10) रेल टंग 11) क्रो बार 12) वायर क्लॉस 13) पॉट (गमेला)	1 स्तंभ (ii) के रूप में एक ही है 2) ट्रैक्टर ट्रक 3) अब्रेसिव रेल कटिंग मशीन 4) रेल ड्रिलिंग मशीन 5) डिप लॉरी 6) रेल डॉली 7) रोलर्स डिस्ट्रेसिंग	1) स्तंभ (iii) के रूप में) भी 2) ट्रैक्टर 3) क्रेन 4) लघु ट्रैक मशीनों
उपकरणों में अनु. क्र. 10 से 13 के लिए पर्याप्त	100 मजदूर	200 मजदूर	300 मजदूर
गिट्टी आपूर्ति	1) डम्पर 2) सड़क ट्रक 3) लोडर /जे. सी. बी. 4) मापन सीव्स	1) डम्पर 2) सड़क ट्रक 3) लोडर /जे. सी. बी. 4) मापन सीव्स	1) डम्पर 2) सड़क ट्रक 3) लोडर /जे. सी. बी. 4) मापन सीव्स 5) क्रशर
रॉकबोल्टिंग शॉटक्रीटींग, और ढीले स्केलिंग आदि	1) रोड ट्रक. 2) जीप / कार	1) कॉलम (ii) के जैसे	1) कॉलम (iii) के जैसे 2) दो डम्पर

	3) एयर कंप्रेसर 4) जल पंप्स 5) पोर्टेबल जनरेटर 6) ड्रिलिंग उपकरण 7) शॉटक्रीटिंग के लिए। गैन्ट्री		
भूमि कार्य सहित ढलान समतल बनाना ।	1) जेसीबी 2) दो ट्रक 3) रॉक ड्रिलिंग उपकरण 4) एयर कंप्रेसर 5) लघु खुदाई 6) संघनन परीक्षण उपकरण 7) सीव्स 8) पानी टैंकर 9) रोड रोलर	1) कॉलम (ii) के जैसे 2) जेसीबी / पोकलेन 3) ट्रक - 5 4) डोजर्स	1) कॉलम (iii) के जैसे 2) पोकलेन - 2 3) ट्रक - 10 4) वायब्रेटरी रोलर्स
पुल (आर.सी.सी / पी.एस.सी)	1) रोड ट्रक 2) कंक्रीट मिक्सर 3) वायब्रेटर्स 4) जीप/ कार 5) जैक 6) स्टील शटरिंग	1) कॉलम (ii) के जैसे 2) डम्पर 3) मिनी वेह बैचिंग प्लांट 4) एयर कंप्रेसर 5) ग्राउटिंग उपकरण 6) वेल्डिंग उपकरण 7) पोर्टेबल जनरेटर	1) कॉलम (iii) के जैसे 2) ट्रेलर 3) स्वचालित बैचिंग संयंत्र 4) प्रीस्ट्रेसिंग उपकरण 5) मिनी क्रेन
स्टील कार्य	1) वेल्डिंग उपकरण 2) गैस काटने का उपकरण 3) ग्राइंडिंग उपकरण	1) कॉलम (ii) के जैसे 2) डेरिक और अन्य उत्थापन उपकरण	1) कॉलम (iii) के जैसे 2) सबमज्ड आर्क वेल्डिंग संयंत्र. 3) हाइड्रोलिक बैंडिंग

	4) ड्रिलिंग उपकरण	3) कार्बन डाई ऑक्साइड वेल्डिंग प्लांट 4) पोर्टेबल वेल्डिंग जनरेटर 5) क्रेन	उपकरण 4) रेडियोग्राफिक परीक्षण 5) मैकेनाइज्ड फ्लेम कटिंग उपकरण
सड़कें, इमारतें, और पानी की आपूर्ति	1) रोड ट्रक 2) कंक्रीट मिक्सर 3 वायब्रेटर 4) जीप / कार 5) आर्टिसन कर्मचारियों के लिए उपकरण	1) कॉलम (ii) के जैसे 2) डम्पर 3) मिनी वेह बैचिंग संयंत्र 4) शटरिंग सामग्री 5) जेनरेटर 6) वेल्डिंग उपकरण	1) कॉलम (iii) के जैसे 2) ट्रेलर 3) हॉट मिक्स पेवर 4) रोड रोलर 5) स्वचालित बैचिंग संयंत्र

- क्लास डी और ई के लिए कोई विशिष्ट न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता नहीं है।
- ठेकेदार कंपनी / फर्म के मालिक के साथ सहयोग कर सकता है और उपकरणों को हायर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच उपक्रम / समझौता प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यदि ठेकेदार के पास / उपरोक्त उपकरण नहीं है, समिति के तकनीकी सदस्य पिछले प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति के योग्यता का मामला आधार पर पात्रता तय कर सकते हैं।

4. पंजीकरण की वैधता

4.1 पंजीकरण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए मान्य होगा।

4.2 ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में चयन के बाद, निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क 3 वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा देय होगा।

वर्ग	पंजीयन शुल्क (₹)
ई	1,000 / -
डी	5,000 / -
सी	7,500 / -
बी	10,000 / -
ए	15,000 / -

4. 3स्थायी बयाना जमा.

निम्नानुसार संविदाकारों की अनुमोदित सूची में समावेश के बाद पार्टी को स्थाई बयाना जमा में फिक्सड डिपॉजिट पावती (3 वर्ष के लिए वैध) के रूप में करने की सलाह दी जाएगी:

वर्ग	एस. ई. एम. डी शुल्क (₹)
ए और बी	1, 00, 000 / -
सी	50, 000 / -
डी	20, 000/-
ई	10, 000 / -

4. 4. ठेकेदार की स्वीकृत सूची में पंजीकरण के बाद ठेकेदारों को निविदा की सूचना भेजने के लिए डाक शुल्क का प्रति वर्ष भुगतान रु. 1000/- करना है।
4. 5. यदि ठेकेदार सूचना के एक महीने के भीतर एस. ई. एम. डी. अपेक्षित पंजीकरण शुल्क और डाक फीस जमा करने में विफल रहता है, उसका नाम ठेकेदार की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे समय तक वह सूची में प्रावधिक रूप से रहेगा। एस. ई. एम. डी पंजीकरण शुल्क और डाक शुल्क इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सुरक्षा के लिए वित्त विभाग को अग्रेषित किया जाएगा. ठेकेदार को आगे कोई अनुस्मारक अपेक्षित शुल्क जमा करने के लिए नहीं किया जाएगा और पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
4. 6 के. आर. सी. एल. के ए.एल.सी. में निम्नलिखित समय अनुसूची के अनुसार आवधिकता नया पंजीकरण / अपग्रेडेशन में किया जाएगा:
 - 1) आवेदन प्रतिवर्ष उस वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मई तक प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
 - ख) जांच अवधि उस वर्ष के 1 जून से 30 अगस्त तक होगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष तक लंबित रखा जाएगा। इस खाते पर कोई दावा नहीं किया जाएगा.
 - ग) वित्त द्वारा अंतिम सूची का विधिवत सत्यापन करने के बाद वर्ष के सितंबर माह के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा।

भाग II

5.0 नामों को हटाना

ठेकेदार की स्वीकृत सूची से नाम हटाने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जा सकता है :

क) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ठेकेदारों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल रिपोर्ट

ख) ठेकेदार खाते पर संविदा की समाप्ति. यहां नाम हटाने का अंतिम निर्णय मुख्य इंजीनियर का होगा ।

ग) पंजीकरण शुल्क, निविदा नोटिस के लिए डाक शुल्क और पैरा 4.2, 4.3 और 4.4 में निर्धारित एस. इ. एम. डी. का भुगतान न करना ।

घ) एस. इ. एम. डी. राशि के गैर समाप्ति की देय तिथि के 30 दिनों के भीतर नवीकरण (एफडीआर के मामले में) कोई अनुस्मारक एफडीआर अवधि की समाप्ति के बारे में एजेंसी को कोई अनुस्मारक नहीं दिया जाएगा

ड) फर्म में इनसाल्वेंसी या बैंकरप्टी या एक फर्म घोषित करना ।

च) ठेकेदार के. आर. सी. एल. के निविदाओं में लगातार अधिक से अधिक 3 साल जो वह वर्ग और श्रेणी में है उसमें भाग नहीं लिया है।

भाग III

6.0 टेंडर नोटिस जारी करना

अनुमोदित सूची के आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को सिमित सूची टेंडर के लिए टेंडर नोटीस जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी

क) संबंधित श्रेणी के संविदाकारों की अनुमोदित सूची पर दर्शाए गए संविदाकारों के लिए केवल निविदा सूचना जारी की जाए । न्यूनतम योग्यता क्लास क्लॉज 2.1 उक्त (भाग i) के अनुसार तय किया जाए । संविदाकार जो उच्च पात्र वर्ग में हैं वे निविदा संदर्भ / सूचनाएं भेजने के लिए भी पात्र होंगे ।

ख) निविदा सूचना प्राप्त करने के बाद, ठेकेदारों को निविदा दस्ता के लिए निम्न लागत के) क भुगतान द्वारा आवेदन करना है (बिक्री लागू कर अतिरिक्त एकत्र किया जाएगा।

पंजीकरण के वर्ग के अनुरूप काम का मूल्य	दस्तावेजों की लागत (₹)
वर्ग ए	2, 000 / -
वर्ग बी	1, 500 / -
वर्ग सी	1, 000 / -
वर्ग डी और ई	500 / -

ग) पंजीकरण के बाद, योग्य ठेकेदारों को पैरा 4.5 के अनुसार एक माह के अपेक्षित जमा / प्रभार (डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और एस.ई.एम.डी) का भुगतान करने के लिए अंदर बताया जाएगा। ऐसे समय तक उपरोक्त निदिष्ट के अनुसार ठेकेदारों को निविदा नोटिस उनकी पात्रता के अनुसार प्राप्त होगी। पहली निविदा बोली लगाते समय ठेकेदारों को प्रस्तुत / सभी प्रभार का भुगतान / जमा करना है। यदि कोई ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, यही कार्पोरेट कार्यालय के ध्यान में तुरंत लाया जाए। आगे उसे सभी आवश्यक शुल्क / जमा भुगतान करने तक कोई भी आगे निविदा नोटिस जारी नहीं की जाएगी। एक महीने के बाद उनका पंजीकरण गैर अनुपालन न करने के कारण स्वतः रद्द हो जाएगा।

घ) यदि विभिन्न श्रेणियों के लिए पैरा 2.2 उक्त (भाग I) के अनुसार परिभाषित हैं इस प्रकार के कार्य के अधिकतम अनुमानित मूल्य की श्रेणी चयन श्रेणी के लिए विचार योग्य होगी। अच्छे अनुमान और इस प्रकार के प्रसंस्करण में श्रेणी का निर्णय लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार के कार्य की गुणवत्ता में वेरिफेशन करते समय इस सिद्धांत को अमान्य न करने की सावधानी बरतनी चाहिए। एक विशेष श्रेणी से संविदाकारों का चयन करते समय सिद्धांत अमान्य नहीं करने चाहिए।

ड) यदि वहाँ एक निविदा आमंत्रित करने के लिए एक खास वर्ग पंजीकरण की श्रेणी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, सिफारिश के साथ मामला मुख्य अभियंता को भेजा जाएगा।

च) क्षेत्र से यदि कोई मामला सिफारिश के साथ मुख्य अभियंता को भेजा जाएगा सभी ट्रैक वेल्डिंग कार्य के लिए केवल आर.डी.एस.ओ. अनुमोदित फर्म को ही टेंडर नोटिस भेजा जाएगा।